निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या 127 वर्ष 2018-19

यह निरीक्षण प्रतिवेदन **अधिशासी अभियंता, अस्थायी खंड, लो0 नि0 वि0, सहिया (देहरादून)** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय **अधिशासी अभियंता, अस्थायी खंड, लो0 नि0 वि0, सहिया (देहरादून)** के माह 03/2018 से 01/2019 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, स0ले0प0 अधि0 एवं श्री मनीष श्रीवास्तव, स0ले0प0 अधिकारी एवं श्री गौरव रावत, लेखापरीक्षक द्वारा श्री जगमोहन सिंह रावत, वरिष्ट लेखापरीक्षा अधिकारी,के पर्यवेक्षण में दिनांक 22.02.2019 से 02.03.2019 तक सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. **परिचयात्मकः** इस इकाई की विगत लेखा परीक्षा श्री अनिल कुमार शर्मा, श्री राजेश कुमार सिन्हा स0 ले0 प0 अधि0 एवं श्री निखिल जोधी, लेखपरीक्षक द्वारा दिनांक 03.03.2018 से 14.03.2018 तक श्री सुधीर श्रीवास्तव, व0 ले0 प0 अधि0 के पर्यवेक्षण मे संपादित की गयी थी। जिसमें माह 07/2015 से 02/2018 तक के अभिलेखो की जांच की गयी।

   वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 03/2018 से 01/2019 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी

1. (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः- **अधिशासी अभियंता, अस्थायी खंड, लो0 नि0 वि0, सहिया (देहरादून) के अंतर्गत सहिया एवं कालसी ब्लॉक**
2. इकाई को बजट आंवटन- उत्तराखण्ड सरकार द्वारा दिया जाता है |

3. (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत है:-

(` लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आधिक्य (+)	बचत (-)
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय		
2016-17	0.00	0.00	676.42	614.43	2824.28	2824.24	-	-
2017-18	0.00	0.00	779.36	727.63	3193.24	3193.22	-	0.02
2018-19 (upto 01/2019)	0.00	0.00	617.66	320.42	2204.85	1986.99	-	-

- अवशेष धनराशि वर्षांत में शासन को समर्पित कर दी जाती है।

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः (धनराशि लाख रु. में)

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष	प्राप्त	व्यय अधिक्य (+)	बचत (-)
2015-16	शून्य				
2016-17					
2017-18					
2018-19					

4. इकाई को बजट आवंटन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई "ए"श्रेणी की है। विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

1. प्रमुख सचिव
2. प्रमुख अभियंता
3. मुख्य अभियंता
4. अधीक्षण अभियंता
5. अधिशासी अभियंता

लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में **अधिशासी अभियंता, अस्थायी खंड, लो0 नि0 वि0, सहिया (देहरादून)** को आच्छादित किया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 01/2019

को विस्तृत लेखा जांच हेतु एवं "कलसी चकराता मोटर मार्ग का पुनः निर्माण" को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया।

1. लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

2. अधिशासी अभियंता द्वारा विगत लेखापरीक्षा से अब तक की अवधि मे दिनांक 21.02 2018 से 19.01.2019 का निरीक्षण किया गया।

3. खंड के भडार लेखो की अर्धवार्षिकी लेखाबन्दी तथा यंत्र-सयन्त्र लेखो की वार्षिक लेखाबन्दी **09/2018 एवं 09/2018** तक की गयी।

4. फार्म-51 माह 06/2018 तक कार्यालय महालेखाकार (ले0 एवं ह0) उत्तराखंड देहारादून को प्रेषित किया जा चुका है जिसके भाग प्रथम एवं दितीय के अवशेष निम्नवत है :

   भाग प्रथम: रु 141457.00

   भाग दितीय: रु 2471134.65

5. खंड के उच्चंत लेखो का अवशेष माह **01/2019** के अंत मे

(क) प्रकीर्ण निर्माण अग्रिम : रु 4683109.80

(ख) सामग्री क्रय : शून्य

(ग) नगद परिशोधन : शून्य

(घ) निक्षेप : रु 51801022.00

(ङ) भंडार : रु 3304447.00

भाग-II (ब)

प्रस्तर-1 : कार्य पूर्ण किए बिना अनुबंध का अंतिमीकरण एवं रु 67.87 लाख के व्यय का विवरण न होना।

उत्तराखंड शासन द्वारा देहरादून के ब्लॉक विकास नगर में हथियारी से खुलेत तक 1 किमी तक PWD सड़क यमुना पुल हाथी पाव के सुदृढीकरण एवं डामरीकरण के कार्य की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति रु 242.24 लाख हेतु (मार्ग लंबाई 06.00 किमी) प्रदान (नवंबर 2013)) की गयी थी जिसकी प्राविधिक स्वीकृति उक्त धनराशि हेतु ही प्रदान की गयी (जनवरी 2014)। कार्य के निष्पादन हेतु एक अनुबंध (375/SE-09/2013-14 दिनांकित 13.02.2014) रु 203.69 लाख हेतु गठित की गयी थी जिसके अनुसार कार्य पूर्ण करने की अंतिम तिथि 12.08.2015 थी। कार्य पर वर्तमान तक कुल व्यय रु 242.36 लाख था (फार्म-64 माह जनवरी 2019 के अनुसार)। वर्तमान मे मार्ग निर्माण खंड, लो0 नि0 वि0, देहरादून को हस्तांतरित थी।

अधिशासी अभियंता, अस्थायी खंड, लो0 नि0 वि0, सहिया के अभिलेखो की लेखापरीक्षा मे पाया गया (मार्च 2019) कि खंड द्वारा न केवल 700 मी0 लंबाई मे मार्ग का निर्माण किए बिना अनुबंध का अंतिमीकरण (अप्रैल 2018) रु 174.49 लाख के साथ कर दिया गया अपितु उक्त मार्ग पर कुल स्वीकृति धनराशि रु 242.36 लाख का व्यय (फार्म-64 जनवरी 2019 के अनुसार) दर्शाया गया जो वास्तविक व्यय से रु 67.87 लाख अधिक था।

उक्त की ओर इंगित किए जाने पर खंड द्वारा आपत्ति स्वीकार्य करते हुये बताया गया कि 400 मी0 मे सी0 सी0 का कार्य किया गया है जबकि 300 मी0 मे कार्य करना लंबित है। व्यय धनराशि मे अंतर रु 67.87 लाख के संबंध मे खंड द्वारा बताया गया कि प्रकरण की विवेचना के उपरांत एक सप्ताह मे उत्तर प्रेषित कर दिया जाएगा।

खंड के उत्तर से स्वतः स्पष्ट है खंड द्वारा न केवल मार्ग का निर्माण पूर्ण किए बिना अनुबंध का अंतिमीकरण किया गया अपितु व्यय धनराशि मे अंतर रु 67.87 लाख का साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया जा सका। अतः उक्त प्रकरण शासन के संज्ञान मे लाया जाता है।

भाग-II (ब)

प्रस्तर-2 : विभागीय शिथिलता एवं कमियो के कारण रु 4399.97 लाख व्यय के बावजूद वित्तीय स्वीकृति के 04 वर्ष बाद भी कार्य का पूर्ण न होना।

उत्तराखंड शासन द्वारा देहरादून विकास खंड कालसी मे कालसी चकराता (SH-20) के मार्ग लंबाई 40 किमी के पुनः निर्माण एवं हात मिक्स के कार्य की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति रु 4065.81 लाख (अगस्त 2014) को पुनरीक्षित करते हुये 5465.81 लाख की प्रदान (जुलाई 2016) की गयी थी जिसकी प्राविधिक स्वीकृति उक्त धनराशि हेतु ही प्रदान की गयी (अगस्त 2014 एवं सितंबर 2016)। कार्य के निष्पादन हेतु एकल आधार पर एक अनुबंध (15/एसई-09/2014-15 दिनांकित 20 सितंबर 2014) रु 33.75 करोड़ हेतु गठित की गयी थी जिसके अनुसार कार्य पूर्ण होने की अंतिम तिथि 19.03.2016 थी।

अधिशासी अभियंता, अस्थायी खंड, लो0 नि0 वि0, सहिया के अभिलेखो की लेखापरीक्षा (फरवरी 2019) मे पाया गया कि खंड द्वारा पूर्व स्वीकृति (अगस्त 2014) के 18 माह बाद अतिरिक्त चौड़ाई मे BM/SDBC के कार्य हेतु 1391.01 लाख की अतिरिक्त स्वीकृति की मांग शासन से की गयी जिसकी पुनरीक्षित स्वीकृति कुल रु 5456.82 लाख की प्राप्त की गयी (जून 2016)। पुनः खंड द्वारा अलग से कोई निविदा जारी न कर पूर्व मे गठित अनुबंध के माध्यम से ही पुनरीक्षित कार्य को कराया जा रहा था जिसके कारण कार्य पूर्ण होने की वास्तविक तिथि का निर्धारण एवं ठेकेदार पर कार्य मे विलंब पेनाल्टी वसूल किया जाना संभव नहीं था। इसके परिणाम स्वरूप प्रथम स्वीकृति के 04 वर्ष बाद एवं दितीय स्वीकृति के 02 वर्ष बाद भी न केवल कार्य अपूर्ण था अपितु ठेकदार को Lumpsum amount (Work done but not measured) के रूप में रु 161.77 लाख का भुगतान (जनवरी 2019) किया गया था जिसकी माप वर्तमान मे भी नहीं की गयी थी। खंड द्वारा वर्तमान तक कार्य पर किए गए कुल व्यय रु 4399.97 लाख के सापेक्ष फार्म -64 मे मात्र रु 3722.68 लाख का व्यय परिलक्षित किया गया था। अतः खंड की शिथिलता एवं सर्वे मे कमी के कारण न केवल केवल कार्य अपूर्ण था अपितु इसके कारण कार्य मे विलंब हेतु ठेकेदार को liable भी नहीं किया जा सका था।

उक्त की ओर इंगित किए जाने पर खंड द्वारा उत्तर मे बताया गया कि निविदा परामर्श समिति के उपरांत ही एकल आधार पर अनुबंध गठित किया गया जबकि पुनरीक्षित स्वीकृति हेतु अलग से अनुबंध गठित किए जाने पर कार्य की लागत बढ़ जाती जिसके कारण पूर्व मे गठित अनुबंध के तहत ही अतिरिक्त कार्य कराया गया। खंड द्वारा कार्य पूर्ण होने की तिथि अक्टूबर 2019 निर्धारित

होना बताया गया जबकि कार्य मे विलंब हेतु एवं ठेकेदार पर पेनाल्टी न लगाए जाने का कारण मार्ग मे स्थानीय लोगो द्वारा अतिक्रमण एवं पुनरीक्षित स्वीकृति का प्राप्त होना बताया गया।

खंड का उत्तर स्वीकार्य योग्य नहीं है क्योंकि खंड द्वारा न केवल मार्ग निर्माण के आकलन/सर्वे मे शिथिलता बरती गयी अपितु 24 माह की देरी से पुनरीक्षित स्वीकृति प्राप्त करने के बावजूद आगामी 02 वर्ष बाद भी कार्य को पूरा नहीं किया जा सका जिससे न केवल मार्ग का लाभ जनमानस को नहीं मिल पा रहा था अपितु सामाग्री इवान श्रमिकों की लागत मे वृद्धि से कार्य की लागत बढ़ने से भी इंकार नहीं किया जा सकता।

पुन: ठेकेदार द्वारा कार्य मे विलंब हेतु भी उसे जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सका और न ही कोई पेनाल्टी वसूल की गयी। खंड द्वारा कार्य पूर्ण करने की निर्धारित संबंधी साक्ष्य भी उपलब्ध नहीं कराया जा सका।

अतः विभागीय शिथिलता एवं कमियो के कारण मार्ग पर रु 4399.97 लाख के व्यय के बावजूद स्वीकृति के 04 वर्ष बाद भी कार्य के अपूर्ण रहने का प्रकरण उच्चाधिकारिओ के संज्ञान मे लाया जाता है।

भाग-2 (ब)

प्रस्तर-3 : ` 65.83 लाख व्यय होने के बाद भी निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त न करने के कारण निष्फल व्यय।

जनपद देहरादून के अंतर्गत कोरबा से क्वारना होते हुये मंगरौली हल्का वाहन मार्ग का मोटर मार्ग मे परिवर्तन /विस्तार दो सेतुओ का निर्माण कार्य (9.50किमी) हेतु वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति माह नवंबर 2006 मे रु 131.00 लाख प्रदान की गयी थी एवं आंशिक प्राविधिक स्वीकृति माह सितंबर 2007 मे रु 61.75 लाख की मुख्य अभियंता (ग. क्षे.) द्वारा प्रदान की गयी थी।

अस्थायी खंड, लो0 नि0 वि0 सहिया की लेखापरीक्षा माह मार्च 2019 मे पाया गया कि यद्पि खंड को स्वीकृति 9.50 किमी लंबाई मे निर्माण (दो सेतुओ सहित) एवं ग्राम मंगरौली (SC आबादी 144, ST आबादी 271) को जोड़ने हेतु प्रदान की गयी थी किन्तु खंड द्वारा 12 वर्ष से भी अधिक समय बीतने के बाद भी कार्य अधूरा छोड़ दिया गया गया था एवं न ही स्वीकृत दो सेतुओ का निर्माण किया गया था । सेतुओ के स्थान पर अस्थायी रूप से वायर क्रेट एवं स्कपरो का निर्माण किया गया था किन्तु 03 किमी लंबाई मे कार्य प्रारम्भ ही नहीं किया जा सका था जबकि कार्य पर माह मार्च 2016 तक रु 65.83 लाख व्यय किया जा चुका था एवं कार्य माह मार्च 2013 से बंद पड़ा था। यह भी उल्लेखनीय है कि बिना सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के अनियमित रूप से कार्य को शासकीय लेखाओ अर्थात मासिक लेखा से भी हटा दिया गया था।

लेखापरीक्षा मे पुछे जाने पर खंडीय आख्या मे बतलाया गया कि ग्रामीणो द्वारा 7.00 किमी के बाद संरेखण विवाद होने के कारण कार्य लंबित है एवं विवाद सुलझाया जा रहा है।

खंड का उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि स्वीकृति के 12 वर्षो बाद भी कार्य विगत 05 वर्षो से बंद पड़ा था एवं मासिक लेखक से भी हटा दिया गया था जो स्पष्ट करता है कि खंड एससी, एसटी बहुल ग्राम मे सड़क पहुंचाने के प्रति गंभीर नहीं है और न ही खंड द्वारा 9.50 किमी सड़क निर्माण का उद्देश्य पूर्ण किया गया।

अतः रु 65.83 लाख व्यय होने के बाद भी निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त नहीं किए जा सकने एवं व्यय निष्फल रहने का प्रकरण प्रकाश मे लाया जाता है।

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	अनिस्तारित प्रस्तर	
	भाग-2अ	भाग-2ब
22/2003-04	-	4
33/2004-05	-	**5**
21/2005-06	1	**0**
03/2007-08	1, 2**A**	**-**
64/2008-09	2, 3	3
36/2011-12	2	1
33/2012-13	-	**1**
54/2013-14	-	**1**
45/2015-16	-	1, 2

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तरसंख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति

अनुपालन आख्या कार्यालय प्रधान महालेखाकार को पूर्व में ही प्रेषित कर दिया गया था।

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

शून्य

भाग-V

आभार

1. कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **अधिशासी अभियन्ता, अस्थाई खण्ड, लो0नि0वि0, सहिया, देहरादून** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि **लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः** माप पुस्तिका संख्या - 403
2. **सतत् अनियमितताएः** शून्य
3. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिशासी अभियन्ताओ द्वारा खण्ड का कार्यभार वहन किया गया**

क्रम सं0	नाम	पदनाम	अवधि
1.	श्री डी. पी. सिंह	अधि. अभि.	22/11/2017 से वर्तमान तक ।

4. **विगत संप्रेक्षा से अब तक निम्नलिखित खण्डीय लेखाधिकारी खण्ड से संबंद्ध रहे।**

नाम	**पदनाम**
1. श्री फकीर चंद शर्मा	खंडीय लेखाकार ।
2. श्री संजीव नेगी	खंडीय लेखाकार ।

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **अधिशासी अभियन्ता, अस्थाई खण्ड, लो0नि0वि0, सहिया, देहरादून** को इस आशय से प्रेषित है कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार आर्थिक क्षेत्र-2, कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखंड, कार्यालय सह आवासीय परिसर, पोस्ट ऑफिस-कौलागढ़, देहरादून को प्रेषित कर दी जाये।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी

आर्थिक क्षेत्र- II